फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

साहबद्दीन बनाम असरफी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, मु0 नं0 62/2 सन –2024

26-6-24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20–06–24	वकील प्रार्थी श्री विशम्भर दयाल गुप्ता के साथ प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात व वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। अतः अप्रार्थीगणो को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15–07–24 तक पाबन्द किया जाता है आराजी खसरा नम्बर 373/0.0400, 375/1.1100, 376/0.6500, 599/0.0200, 600/0.0500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.8700 है0 वाक ग्राम चन्दवास तहसील अलवर मे प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना पेश हो। क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा (Absolute) कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो न्यायालय में दिनांक 15.07.2024 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 15.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	Notice 431 1.7.24
15.7.24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी और वकील प्रार्थी उप० उपस्थित आदेशिका पर हस्ताक्षर करते है। निवेदन किया कि उनका आपसी स्तर पर राजीनामा हो चुका है और प्रकरण को नहीं चलाना चाहते है इसी स्तर पर नोट प्रेस करना चाहते है प्रार्थी की पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गई और उन्हे पूछा गया बाकी मनन करने के उपरान्त प्रार्थी/वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर नोट प्रेस में खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर लेकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	Not press.

Scanned with OKEN Scanner